समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
-: आदेश :-

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-36(आ0), दिनांक- 16.03.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्राम कचहरी के सरपंचों, उपसरपंचों एवं पंचों(सदस्यों) के लिए *सामान्य घटक में* योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001980106 एवं ***अनुसूचित जाति विशेष घटक में*** योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाए-विपत्र कोड-पी-2515007890104 के लिए उपलब्ध कराई गई कुल राशि मो0 96,40,350/-(छियानवे लाख चालीस हजार तीन सौ पचास रूपये) मात्र को संलग्न विवरणी के अनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को उनके पदनाम के सामने उपावंटित किया जाता है।

2. यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं 396, दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या 16 के अन्तर्गत योजना बजट में उपबंधित बजट शीर्षो के अन्तर्गत जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय राज्यादेश सं0-04, दिनांक-07.08.2015 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अंतर्गत व्यवसायिक भुगतान हेतु समीक्षा करेंगे तथा सभी स्तरों के पदधारकों के नियत भत्ते का भुगतान इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में करेंगे।

5. उपावंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ही की जायेगी। यदि राशि शेष रह जाती है तो उसका उपयोग विगत वर्षो के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से ही किया जायेगा।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. उपावंटित राशि का मासिक व्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक 28.03.02016 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

ह0/-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-..........211.....पं0, मधेपुरा, दिनांक- 19./03/2016.

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

19/3

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत(मासिक) भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ एवं लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104- ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाए -विपत्र कोड-पी-2515001980106

सरपंच हेतु मासिक राशि- 2500/-, उप-सरपंच हेतु मासिक राशि 1200/- एवं सदस्य हेतु मासिक राशि-500/- की दर से माह अक्टूबर 2015 से नियम भत्ता की राशि की निकासी हेतु उपावंटित राशि

क्र0	प्रखंड का नाम	ग्राम कचहरी की सं0	लघु शीर्ष- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	ग्राम कचहरी की सं0	लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	17	829170	17	134870	964040
2	शंकरपुर	9	438972	9	71397	510369
3	ग्वैलाढ़	9	438972	9	71397	510369
4	गम्हरिया	8	390197	8	63464	453661
5	सिंहेश्वर	13	634071	13	103129	737200
6	मुरलीगंज	17	829170	17	134870	964040
7	कुमारखंड	21	1024269	21	166600	1190869
8	ग्वालपाड़ा	12	585296	12	95196	680492
9	बिहारीगंज	12	585296	12	95196	680492
10	उदाकिशुनगंज	16	780395	16	126940	907335
11	पुरैनी	9	438972	9	71400	510372
12	आलमनगर	14	682849	14	111062	793911
13	चौसा	13	634071	13	103129	737200
	कुल योग :-	170	8291700	170	1348650	9640350

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।